(10)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	15/2017 रोहताश v/s वीर सिंह	
28/11/19	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. सा. भ्रमण / अवकाश पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 5/12/19 को पेश हो।	
5/12/19	अपीलार्थी व वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अपीलार्थी व वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अन्तिम आवाज 4.00 P.M. पर लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः यह अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत न्यायालय विधिवत सूचित हो। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। हस्ता. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	

5/5/17

Reader
17/5/17

2017 | 00041

सेवामें,

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त महोदय,

जयपुर, केम्प अलवर

राजस्व अपील संख्या ......15....... सन् 2017

1— रोहताश पुत्र श्री बोदन

2— रूपचन्द पुत्र श्री बोदन

3— सन्तराम पुत्र श्री बोदन जातियान जाट निवासीयान हरसोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:— अपीलान्टस

:— बनाम :—

1— वीरसिंह पुत्र स्व0 श्री हरिसिंह

2— श्योबाई बेवा स्व0 श्री हरिसिंह

3— सन्तोष बेवा स्व0 श्री कृष्ण जातियान जाट निवासी हरसोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

4— धर्मचन्द पुत्र स्व0 श्री कृष्ण (नाबालिगान उम्र करीब 11 साल)

5— प्रिया पुत्री स्व0 श्री कृष्ण (नाबालिग उम्र करीब 13 साल) नाबालिगान जर्ये सरपरस्त माता खुद सन्तोष पत्नी स्व0 श्री कृष्ण जातियान जाट निवासी हरसोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:— असल रेस्पोडेन्ट

6— उमराव

7— श्रीराम

8— बदलूराम पुत्रान श्री मन्नाराम जाति जाट निवासीयान हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

9— देशराज

फौत 10— गुलझारी पुत्रान श्री गणपत

11— मुकेश

12— वीरसिंह पुत्रान श्री प्रभाती जातियान जाट निवासीयान हरसोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

13— रामोतार

14— रामफल

15— देवीसिंह पुत्रान नन्दराम जातियान जाट निवासीयान हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

तरतीबी रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्व आज्ञा उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर दिनांक 23—12—2011 कि जिसके द्वारा असल रेस्पोडेन्टान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट गलत तरीके से स्वीकार किये जाने की बेजा आज्ञा प्रदान की गई ,बमुराद मन्सूखी उक्त आज्ञा व स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्टान ।

श्रीमान,

अपील अपीलान्टस की ओर से निम्न पेश है :—

1— यह है कि निर्णय दिनांक 23—12—2011 अदालत उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर का है कि जिस निर्णय के विरूद्व अपील सुनने के अख्त्यार अदालत श्रीमान को है । अतः अपील अपीलान्टस काबिल समाअत श्रीमान है । प्रमाणित प्रतिलिपी निर्णय दिनांक 23—12—2011 अदालत उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम अपील हाजा के साथ पेश है ।

2— यह है कि अपील हाजा पर 2/—रूपये कोर्टफीस चस्पा कर पेश है ।

3— यह है कि आदेश दिनांक 23—12—2011 की जानकारी हम अपीलान्टस को किसी भी प्रकार नही थी । अपीलान्टस की ओर से उनके वकील साहब ही पैरवी करते थे निर्णय दिनांक 23—12—2011 के काफी समय प्रश्चात हम अपीलान्टस अपने वकील साहब से तारीख पूछने गये तो उन्होने बताया कि आपका फैसला दिनांक 23—12—2011 को हो चुका है जिसके लिए आपको अपने नम्बरो के लिए उप खण्ड अधिकारी महोदय के ही प्रार्थना पत्र पेश करना पडेगा तथा एक प्रार्थनापत्र वकील साहब ने लिख कर उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के समक्ष पेश करवाया वकील साहब ने हमको सही विधिक राय नही दी एंव अपीलान्ट बिना पढे लिखे व्यक्ति है वो अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत नही कर पाते पुनः दिनांक 18—5—2012 को अपीलान्टान वकील साहब